

अध्याय – IX स्वचालित (ऑटोमैटिक) ब्लॉक पद्धति

क. दोहरी (डबल) लाइन पर लागू नियम

9.01. दोहरी (डबल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें:—

- (1) जहाँ गाड़ियों का संचालन, दोहरी, (डबल) लाइन पर, स्वचालित ब्लॉक पद्धति से होता है वहाँ—
 - (क) लाइन पर निरन्तर ट्रैक सर्किट या धुरी काउन्टर लगाए जाएंगे,
 - (ख) आवश्यकता होने पर, दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन, कई स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शनों में बांटी जा सकती है। प्रत्येक ऐसे सेक्शन दो क्रमिक रोक (स्टॉप) सिगनलों के बीच परिचालित लाइन के भाग होंगे और इनमें प्रवेश रोक (स्टॉप) सिगनल द्वारा शासित होगा, तथा
 - (ग) ट्रैक सर्किट या धुरी काउन्टर, स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में प्रवेश को शासित करने वाले रोक (स्टॉप) सिगनल को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे कि :—
 - (i) सिगनल तब तक 'ऑफ' संकेत पर नहीं जाएगा जब तक लाइन, न केवल अगले रोक (स्टॉप) सिगनल तक, बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है, तथा
 - (ii) जैसे ही गाड़ी सिगनल पार करे वैसे ही सिगनल स्वतः 'आन' पर आ जाएगा।
- (2) जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया गया है, उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) में उल्लिखित 'पर्याप्त दूरी' 120 मीटर से कम नहीं होगी।
- (3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन, प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;
 - (ख) इस प्रकार मुहैया कराये गये मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटर्स अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम में हो या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,
 - (ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब 'ए' चिह्न बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं 'ऑफ' होगा या 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लीयर हो; इसी प्रकार, मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वतः 'ऑफ' होगा अथवा 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी पर क्लीयर हो।

CHAPTER-IX
THE AUTOMATIC BLOCK SYSTEM

A. Rules applicable to Double Line

9.01 Essentials of the Automatic Block System on double line: -

- (1) Where trains on a double line are worked on the Automatic Block System: -
 - (a) The line shall be provided with continuous track circuiting or axle counters,
 - (b) The line between two adjacent block stations may, when required, be divided into a series of automatic block signaling sections each of which is the portion of the running line between two consecutive Stop signals, and the entry into each of which is governed by a Stop signal and
 - (c) The track circuits or axle counters shall so control the Stop signal governing the entry into an automatic block signaling section that: -
 - (i) The signal shall not assume an 'off' aspect unless the line is clear not only up to the next stop signal in advance but also for an adequate distance beyond it, and
 - (ii) The signal is automatically placed to 'on' as soon as it is passed by the train.
- (2) Unless otherwise directed by approved special instructions, the adequate distance referred to in sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (1) shall not be less than 120 meters.
- (3)
 - (a) under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;
 - (b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi-automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;
 - (c) Advanced Starter Signal of the Station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with "A" sign extinguished, the Advanced starter shall assume "off" aspect or be taken "off" only when the line is clear up to an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume "off" aspect automatically or be taken "off" only when the line is clear upto an adequate distance beyond the Home signal of the station ahead;

- (घ) धुंध, खराब, मौसम में जब स्पष्ट दिखायी न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में 'ए' चिह्न को बुझाया जा सकता है और इस कार्रवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का 'ए' चिह्न भी बुझ जाएगा;
- (ङ) खण्ड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।
- (च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में करेगा।
- (4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल 'आन' अवस्था में है तथा 'ए' चिह्न बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा;
- (ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए 'ए' चिह्न के साथ 'आन' अवस्था में मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है।
- (ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर पांच मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को 'आन' में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा, और
- (घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।

9.02. यदि दोहरी (डबल) लाइन पर स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना है तो उस समय लोको पायलट तथा गार्ड के कर्तव्य: -

- (1) यदि लोको पायलट को 'ए' चिह्न 'मार्कर' लगा हुआ कोई स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिगनल के पहले ही रोक देगा। गाड़ी को सिगनल के पहले रोक देने के बाद, लोको पायलट वहाँ, दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट तक रुकेगा। यदि इतने समय तक प्रतीक्षा के बाद भी सिगनल 'आन' ही रहता है तो वह निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ सिगनल का आदान-प्रदान करेगा। फिर वह अगले रोक (स्टॉप) सिगनल की ओर, जहाँ तक लाइन साफ है, अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि वह किसी अवरोध को देखते ही रोक सके।
- (2) उप नियम (4) में बताई गई स्थिति को छोड़कर, यदि गाड़ी स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल पर इस प्रकार रूकी है तो गार्ड पीछे की ओर रोक (स्टॉप) हैंड सिगनल दिखाएगा।
- (3) यदि लाइन पर गोलाई, धुंध, वर्षा या आंधी या इंजन द्वारा गाड़ी ढकेली जाने के कारण, अथवा अन्य कारणों से, आगे की लाइन स्पष्ट रूप से देखी नहीं जा सकती है, तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी दशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, जब लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट नहीं है, और यदि वह आवश्यक समझता है तो, निर्धारित कोड में सीटी बजाकर गार्ड से सहायता मांग सकता है।

- (d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing “A” marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the “A” marker of the Advance starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;
 - (e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);
 - (f) during normal conditions, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.
- (4)
- (a) When the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal “A” marker extinguished in “on” position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;
 - (b) the Station Master of the station ahead may authorise the Loco Pilot to pass the mid-section modified semi-automatic stop signal working with “A” Marker extinguished in “on” position through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;
 - (c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at “on” after waiting for 5 minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction at the speed not exceeding ten kilometers an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and
 - (d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead;

9.02 Duties of Loco Pilot and Guard when an Automatic Stop signal on double line is to be passed at ‘on’:-

- (1) When a Loco Pilot finds an Automatic Stop signal with an ‘A’ marker at ‘on’ he shall bring his train to a stop in the rear of the signal. After bringing his train to a stop in the rear of the signal, the Loco Pilot shall wait there for one minute by day and two minutes by night. If after waiting for this period, the signal continues to remain at ‘on’ he shall give the prescribed code of whistle and exchange signals with the Guard and then proceed ahead, as far as the line is clear, towards the next Stop signal in advance exercising great caution so as to stop short of any obstruction.
- (2) The Guard shall show a Stop hand signal towards the rear when the train has been so stopped at an Automatic Stop signal, except as provided for in sub-rule (4).
- (3) Where owing to the curvature of the line, fog, rain or dust storm, engine working the train pushing it, or other causes, the line ahead cannot be seen clearly, the Loco Pilot shall proceed at a very slow speed, which shall under no circumstances exceed 10 kilometers an hour. Under these circumstances, the Loco Pilot, when not accompanied by an Assistant Loco Pilot and if he considers necessary, may seek the assistance of the Guard by giving the prescribed code of whistle.

- (4) इस प्रकार बुलाए जाने पर गार्ड, लोको पायलट के आगे बढ़ने से पहले, इंजन कैब में आ जाएगा और पूरी निगरानी रखने में लोको पायलट की सहायता के लिए, उसके साथ चलेगा।
- (5) स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करने के बाद लोको पायलट अगले रोक (स्टॉप) सिगनल तक अति सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। यदि सिगनल 'ऑफ' भी है तो भी लोको पायलट वहाँ तक किसी संभावित अवरोध पर लगातार निगाह रखेगा। वह उस सिगनल तक सतर्कता पूर्वक जाएगा और वहाँ पहुंचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा।

स.नि. 9.02 (i) सा0 नि0 9.01(1) के अनुसार जब स्वचालित रोक सिगनल को 'आन' स्थिति में पार कर लिया जाये तो दूसरे रोक सिगनल के पास पहुँचने तक, दृश्यता की स्थिति सामान्य रहने पर भी लोको पायलट बहुत सतर्कतापूर्वक 10 किमी0 प्रति घंटे से अधिक न हो उस गति से किसी सम्भाव्य अवरोध के लिए आगे देखते हुए तथा उसके निकट खड़ा होने के लिए तैयार रहते हुए आगे बढ़ेगा।

(ii) स्वचालित सिगनल क्षेत्र में स्वचल रोक सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करने पर दो गाड़ियों के बीच की दूरी:-

स्वचल रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पास करने के पश्चात् किसी भी प्रकार के इंजन द्वारा कर्षित अनुगामी गाड़ी का लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी और उसके आगे वाली गाड़ी या लाइन के किसी अवरोध के बीच कम से कम 150 मीटर या दो स्पष्ट ओ.एच.ई. खम्भे की दूरी विद्यमान है तथापि उपयुक्त दूरी को 75 मी. या एक स्पष्ट ओ.एच.ई. खम्भे तक कम की जा सकती है यदि अनुगामी गाड़ी ई.एम.यू. हो। विशेष परिस्थितियों यथाबाढ़ आदि में अनुगामी गाड़ी को आगे जाने वाली अथवा अवरोध से अधिक समीप खींच कर लाया जा सकता है।

(iii) स0नि0 3.74(ii) भी देखें।

ख- इकहरी (सिंगिल) लाइन पर लागू नियम

9.03. इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें:-

- (1) जहाँ इकहरी, (सिंगिल) लाइन पर, गाड़ियों का संचालन स्वचालित ब्लॉक पद्धति के अनुसार होता है, वहाँ:-
- (क) लाइन पर निरन्तर ट्रैक सर्किट या धुरी काउन्टर की व्यवस्था की जाएगी,
- (ख) अगले ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर मिलने के बाद ही यातायात की दिशा स्थापित की जाएगी,
- (ग) यातायात की दिशा स्थापित हो जाने के बाद ही कोई गाड़ी एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी
- (घ) लाइन क्लीयर मिलना तब तक सम्भव नहीं हो सकेगा जब तक कि लाइन क्लीयर देने वाले ब्लॉक स्टेशन पर न केवल स्टेशन के प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल तक बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है,
- (ङ) दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन, यदि आवश्यक है तो, रोक(स्टॉप) सिगनल लगाकर दो या अधिक स्वचालित ब्लॉक सिगनलिंग सेक्शनों में विभक्त की जा सकती है।
- (च) यातायात की दिशा स्थापित हो जाने के बाद, प्रत्येक स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन के अन्दर, उसमें से होकर तथा उससे बाहर जाने के लिये गाड़ियों का संचालन सम्बन्धित स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल द्वारा नियंत्रित किया जायेगा और वह स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल तब तक 'ऑफ' स्थिति में नहीं जाएगा जब तक कि लाइन अगले स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल तक साफ नहीं हो जाती:-

"परन्तु यह और कि यदि अगला रोक (स्टॉप) सिगनल हस्तचालित रोक (स्टॉप) सिगनल है तो लाइन उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ है" तथा

(छ) यातायात की दिशा के विपरीत सभी रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में होंगे।

- (4) When so sent for by the Loco Pilot, the Guard shall accompany him on the engine cab, before he moves forward, to assist the Loco Pilot in keeping a sharp lookout.
- (5) When an Automatic Stop signal has been passed at 'on', the Loco Pilot shall proceed with great caution until the next Stop signal is reached. Even if this signal is 'off', the Loco Pilot shall continue to look out for any possible obstruction short of the same. He shall proceed cautiously up to that signal and shall act upon its indication only after he has reached it.

S.R.9.02 (i) When an Automatic Stop Signal has been passed at 'ON' as per G.R.9.02(1) the Loco Pilot shall proceed with great caution at a speed not exceeding 10 KMPH even in normal condition of visibility until the next stop signal is reach, looking out for any possible obstruction and be prepared to stop short of the same.

(ii) Distance between two trains in automatic Signaling territories after passing Automatic Stop Signal at 'ON': -

After passing Automatic Stop Signal at 'ON', the Loco Pilot of the following train hauled by any locomotive shall ensure that a minimum distance of 150 meter or two clear OHE spans is maintained between his train and the preceding train or any obstruction on the line. However, the above distance may be reduced to 75 meters or one clear OHE span in the case of an EMU train following. In special circumstances like floods etc. the following train may be pulled closer to the preceding train or the obstruction.

(iii) Also see S.R.3.74 (ii)

B. Rules applicable to Single Line

9.03. Essentials of the Automatic Block System on single line:-

- (1) Where trains on a single line are worked on the Automatic Block System: -
- (a) The line shall be provided with continuous track circuiting or axle counters,
 - (b) The direction of traffic shall be established only after Line Clear has been obtained from the block station in advance,
 - (c) A train shall be started from one Block Station to another only after the direction of traffic has been established,
 - (d) It shall not be possible to obtain Line Clear unless the line is clear, at the block station from which Line Clear is obtained, not only upto the first Stop signal but also for an adequate distance beyond it,
 - (e) The line between two adjacent block stations may, where required, be divided into two or more automatic block signaling sections by Provision of Stop signals,
 - (f) After the direction of traffic has been established, movement of trains into, through and out of each automatic block signaling section shall be collected by the concerned Automatic Stop signal and the said Automatic stop signal shall not assume 'off' position unless the line is clear upto the next Automatic Stop signal:
Provided further that where the next Stop signal is a Manual Stop signal, the line is clear for an adequate distance beyond it, and (g)
All stop signals against the direction of traffic shall be at 'on'.

- (2) जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया गया है, उप-नियम (1) के खण्ड (घ) और (च) में उल्लिखित पर्याप्त दूरी 180 मीटर से कम नहीं होगी।
- (3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन, प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ;
- (ख) इस प्रकार मुहैया कराये गये मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रैक सर्किट अथवा एक्सल काउंटरोँ अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जाएगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम में हो या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,
- (ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जाएगा कि जब 'ए' चिह्न बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं 'आफ' होगा या 'ऑफ' किया जाएगा जब लाइन मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लीयर हो; इसी प्रकार, मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वतः 'आफ' होगा अथवा 'आफ' किया जाएगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी पर क्लीयर हो।
- (घ) धुंध, खराब, मौसम में जब स्पष्ट दिखायी न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में 'ए' चिह्न को बुझाया जा सकता है और इस कार्रवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का 'ए' चिह्न भी बुझ जाएगा;
- (ङ) खण्ड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।
- (च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में करेगा।
- (4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल 'आन' अवस्था में है तथा 'ए' चिह्न बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा;
- (ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए 'ए' चिह्न के साथ 'आन' अवस्था में मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है।
- (ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को 'आन' में पास करेगा और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक 10 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा, और

-
- (2) Unless otherwise directed by approved special instructions, the adequate distance referred to in clauses (d) and (f) of sub-rule (1) shall not be less than 180 meters.
- (3) (a) under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signaling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;
- (b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;
- (c) Advanced Starter Signal of the Station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with "A" sign extinguished, the Advanced starter shall assume "off" aspect or be taken "off" only when the line is clear up to an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume "off" aspect automatically or be taken "off" only when the line is clear up to an adequate distance beyond the Home Signal of the station ahead;
- (d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing "A" marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the "A" marker of the Advance starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;
- (e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);
- (f) during normal conditions, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.
- (4) (a) when the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal with "A" marker extinguished in "on" position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;
- (b) the Station Master of the station ahead may authorise the Loco Pilot to pass the mid-section modified semi-automatic stop signal working with "A" Marker extinguished in "on" position through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;
- (c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at "on" after waiting for 5 minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction at the speed not exceeding 10 kilometers an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and

(घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य खण्ड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।

9.04. इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर:— प्रत्येक दिशा के लिए लगाये जाने वाले स्थावर सिगनलों का न्यूनतम उपस्कर निम्नलिखित होगा, अर्थात:—

(क) स्टेशन पर हस्तचालित रोक (स्टॉप) सिगनल:—

(i) एक निकट (होम)।

(ii) एक प्रस्थान (स्टार्टर)।

(ख) स्टेशन के निकट (होम) सिगनल के पहले एक स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल है।

नोट:— अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन, स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को हटाया जा सकता है।

स.नि. 9.04 (i) जिन खण्डों पर इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति प्रचलित है, निकट (होम) सिगनल से पहले लगे हुए स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल को 'एप्रोच' सिगनल के नाम से पुकारा जायेगा और उसके तीन या चार संकेत हो सकते हैं।

9.05. इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में अतिरिक्त स्थावर सिगनल:—

(1) नियम 9.04 में निर्धारित न्यूनतम उपस्कर के अतिरिक्त ब्लॉक स्टेशनों के बीच, आवश्यकतानुसार, एक या अधिक अतिरिक्त स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल लगाए जा सकते हैं।

(2) इसके अतिरिक्त, गाड़ियों के निरापद संचालन के लिए आवश्यकतानुसार कोई अन्य स्थावर सिगनल भी लगाया जा सकता है।

9.06. इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में हस्तचालित रोक (स्टॉप) सिगनलों को 'ऑफ' करने की शर्तें:—

(1) निकट (होम) सिगनल— यदि गाड़ी अन्तिम (टर्मिनल) स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिगनल पर पहुंच रही है, तो वह सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि लाइन, न केवल प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल तक, बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है।

(2) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल— किसी गाड़ी के लिए अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जायेगा जब तक कि यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो गई है और अगले स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल तक, या यदि अगला रोक (स्टॉप) सिगनल हस्तचालित है तो उसके आगे पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है।

(3) जब तक अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता, उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित पर्याप्त दूरी कभी भी, 120 मीटर तथा 180 मीटर से कम नहीं होगी। अनुमोदित डिजाइन का सैण्ड हम्प या रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी से, डिरेलिंग स्विच को उप-नियम (1) में उल्लिखित पर्याप्त दूरी का कारगर एवजी माना जाएगा।

स.नि. 9.06 (1) स्टेशन पैनल के परिचालन से जब होम सिगनल 'ऑफ' नहीं हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सा0 एवं स. नि. 3.38 और 3.39 के प्रावधान के अनुरूप सभी काँटे जिनपर होकर गाड़ी गुजरेगी सही रूप से सेट हों, क्लैम्प किये गये हों और ताला बन्द हों और लाइन जिससे होकर गाड़ी गुजरेगी अवरोध से मुक्त हो।

(2) तब ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर खराब सिगनलों को 'आन' स्थिति में पास करने के लिए निर्धारित प्रारूप सा0 टी/369—(3 बी) पर प्राधिकार जारी करेगा।

(3) प्वाइंट्स मशीन की विफलता की स्थिति में काँटों को क्रैंक हैंडिल की सहायता से सेट किया जाएगा, जिसका विवरण स्टेशन संचालन नियमावली में समावेशित रहता है।

(4) स्टेशन मास्टर सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को खराबी/विफलता ठीक करने के लिए लिखित संदेश जारी करेगा और सिगनल एवं दूरसंचार गियर के ठीक हो जाने के बाद सिगनल विफलता रजिस्टर में उनकी अभ्युक्ति प्राप्त करेगा।

- (d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead;

9.04 Minimum equipment of fixed signals in Automatic Block territory on single line:- The minimum equipment of fixed signals to be provided for each direction shall be as follows:-

- (a) Manual Stop signals at a station: -
- (i) a Home,
 - (ii) a Starter.
- (b) An Automatic Stop signal in rear of the Home signal of the station.

Note:- Under approved special instructions, the Automatic Stop signal may be dispensed with

S.R.9.04 (i) Automatic Stop signal in rear of the Home signal on sections where Automatic Block System on Single line is in operation, shall be called Approach signal and may have either three or four aspects.

9.05 Additional fixed signals in Automatic Block territory on single line: -

- (1) Besides the minimum equipment prescribed in Rule 9.04, one or more additional Automatic Stop signals, as are considered necessary, in between block stations, may be provided.
- (2) In addition, such other fixed signals as may be necessary for the safe working of trains may be provided.

9.06 Conditions for taking 'OFF' Manual Stop signals in Automatic Block territory on single line: -

- (1) Home signal-When a train is approaching a Home signal, otherwise, than at a terminal station, the signal shall not be taken 'off' unless the line is clear not only up to the Starter but also for an adequate distance beyond it.
- (2) Last Stop signal-The last Stop signal shall not be taken 'off' for a train unless the direction of traffic has been established and the line is clear up to the next Automatic Stop signal, or when the next Stop signal is a Manual Stop signal for an adequate distance beyond it.
- (3) The adequate distance referred to in sub-rules (1) and (2) shall never be less than 120 meters and 180 meters respectively unless otherwise directed by approved special instructions. A sand hump of approved design, or subject to the sanction of the Commissioner of Railway Safety, a derailing switch shall be deemed to be an efficient substitute for the adequate distance referred to in sub-rule (1).

S.R.9.06 (1) When Home Signal is not taken 'OFF' after operation of Station Panel the Station Master on duty shall personally ensure that all points over which the train will pass are correctly set, clamped and pad locked and line over which train will pass are clear and free from obstruction as required vide G.S.R 3.38 and 3.39.

- (2) The Station Master on duty will then issue Authority to Pass Defective Signal in 'ON' position on prescribed form No T/369 (3b).
- (3) In the event of failure of points machine, the points shall be set by means of crank handle the details of which are incorporated in the Station Working Rules.
- (4) The Station Master will issue written message to S&T staff for rectification of the defect/failure and obtain his remarks in Signal Failure Register after the S&T gear is put right.

- (5) जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर ले लिया गया है और स्टेशन पैनल पर यातायात की दिशा स्थापित हो चुका है और स्टेशन मास्टर स्टार्टर सिगनल आफ करने में असमर्थ है तो वह सुनिश्चित करेगा कि सभी कॉटे, जिनपर गाड़ी पास होनी है, सही रूप से सेट करके क्लैम्प करके ताला बन्द कर दिये गये हैं। इसके पश्चात् वह प्रस्थान सिगनल एवं अन्य मध्यवर्ती सिगनल अन्य सावाधनियों बरतते हुए आन स्थिति में पास करने तथा अगले स्टेशन तक सीमित गति, जो 25 कि.मी.प्र.घं. से अधिक न हो, से जाने का प्राधिकार निर्धारित फार्म टी/डी 912 पर जारी करेगा। इस दशा में जब तक गाड़ी अगले स्टेशन पर नहीं पहुँच जाय, अनुगामी ट्रेन नहीं चलायी जायेगी।
- (6) जब किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर मिलता है और यातायात की दिशा स्टेशन पैनल पर नहीं स्थापित हो पाता है तब गाड़ी अध्याय 14 एवं परिशिष्ट 'घ' तथा एब्सोल्यूट ब्लाक सिस्टम के अनुसार पेपर लाईन क्लीयर टिकट के प्राधिकार पर चलाई जाएगी। प्रारूप टी/ए 912 जारी किया जायेगा।
- (7) जब कोई सहायता इंजन/गाड़ी किसी कारण से अवरोधित ब्लाक खण्ड में भेजना हो तो स्टेशन मास्टर निर्धारित प्रारूप टी/सी 912 पर ब्लाक खण्ड में अवरोध स्थल तक जाने का प्राधिकार जारी करेगा।
- (8) सम्पूर्ण संचार साधनों की विफलता की दशा में परिशिष्ट-'ख' भाग-II में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप गाड़ियां चलाई जायेंगी।

9.07. यदि इकहरी (सिंगल) लाइन पर स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना है तो उस समय लोको पायलट तथा गार्ड के कर्तव्य:-

- (1) यदि लोको पायलट 'ए' चिन्ह (मार्कर) वाला स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में पाता है तो वह अपनी गाड़ी को उस सिगनल से पहले रोक कर दिन में एक मिनट तथा रात्रि में दो मिनट तक प्रतीक्षा करेगा।
- (2) यदि इतनी प्रतीक्षा के बाद भी सिगनल 'आन' स्थिति में ही रहता है और यदि सिगनल के पास टेलीफोन संचार व्यवस्था है तो लोको पायलट अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से या जहाँ सेक्शन में केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) है वहाँ केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल आपरेटर) से सम्पर्क स्थापित करके उससे अनुदेश लेगा। यथा स्थिति, स्टेशन मास्टर या केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल आपरेटर) यह अभिनिश्चित करने के बाद कि अगले सिगनल तक कोई गाड़ी नहीं है, और जहाँ तक ज्ञात है, लोको पायलट का आगे जाना अन्यथा सुरक्षित है, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अधीन उपबन्धित है, लोको पायलट को 'आन' स्थिति में सिगनल पास करने और अगले सिगनल तक बढ़ने की अनुमति देगा।
- (3) यदि सिगनल के पास कोई टेलीफोन संचार व्यवस्था नहीं है या वह खराब हो गई है और उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ संकेतों का आदान-प्रदान करके सिगनल पास करेगा और फिर अत्यंत सतर्कता के साथ अगले रोक (स्टॉप) सिगनल तक जहाँ तक लाइन साफ है, इस प्रकार आगे बढ़ेगा जिससे कि वह किसी अवरोध से पहले ही रुक सके।
- (4) यदि गाड़ी किसी स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल पर इस प्रकार की है तो गार्ड, उपनियम (6) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, पीछे की ओर (स्टॉप) हैंड सिगनल दिखाएगा।
- (5) यदि लाइन पर गोलाई, धुंध वर्षा या आंधी या इंजन द्वारा गाड़ी ढकेली जाने के कारण अथवा अन्य कारणों से, आगे की लाइन स्पष्ट देखी नहीं जा सकती है तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी दशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, जब लोको पायलट के साथ सहायक लोको पायलट नहीं है और यदि वह आवश्यक समझता है तो, निर्धारित कोड में सीटी बजाकर गार्ड से सहायता मांग सकता है।

- (5) When Line Clear for a train is obtained and Direction of traffic has been established on Station Panel and Station Master is unable to take 'OFF' the Starter Signal, he will ensure that all points over which train will pass are correctly set, clamped and pad locked. There after he will issue authority on prescribed form No. T/D912 to pass departure signal and other intervening signal at 'ON' observing other precaution and proceed to next station at speed not exceeding 25 kmph. The subsequent train shall not be allowed to follow till the preceding train has reached the block station in advance.
- (6) When Line Clear for train is not obtained and Direction of traffic has not been established the train shall be worked on authority of Paper Line Clear Ticket as described under Chapter XIV and Appendix 'D' of G&SR book and Absolute Block System will come into force. The Loco Pilot shall be issued authority to disregard the Automatic Stop Signal on prescribed form No. T/A912.
- (7) When a relief engine or train is required to be sent in the block section which is occupied due to obstruction the Station Master shall issue authority on prescribed form No. T/C 912 to enter into the block section up to place of obstruction.
- (8) In the event of total interruption of communication, the procedure described under Appendix 'B' Part II shall be followed.

9.07 Duties of Loco Pilot and Guard when an Automatic Stop signal on single line is to be passed at 'on': -

- (1) When a Loco Pilot finds an Automatic Stop signal with an 'A' marker at 'on', he shall bring his train to a stop in rear of that signal and wait there for one minute by day and two minutes by night.
- (2) If after waiting for this period the signal continues to remain at 'on' and if telephone communication is provided near the signal, the Loco Pilot shall contact the Station Master of the next block station or the Centralized Traffic Control Operator of the section where Centralized Traffic Control is provided and obtain his instructions. The Station Master or the Centralized Traffic Control Operator, as the case may be, shall after ascertaining that there is no train ahead up to the next signal and that it is otherwise safe for the Loco Pilot to proceed so far as is known, give permission to the Loco Pilot to pass the signal in the 'on' position and proceed up to the next signal, as may be provided under special instructions.
- (3) If no telephone communication is provided near the signal or if the telephone communication provided near the signal is out of order and can not be made use of, the Loco Pilot shall give the prescribed code of whistle and exchange signals with the Guard and then proceed past the signal as far as the line is clear, up to the next Stop signal in advance, exercising great caution so as to stop short of any obstruction.
- (4) The Guard shall show a Stop hand signal towards the rear when the train has been so stopped at an Automatic Stop signal, except as provided for under sub – rule (6).
- (5) Where owing to the curvature of the line, fog, rain or dust storm, engine working the train pushing it, or other causes, the line ahead cannot be seen clearly, the Loco Pilot shall proceed at a very slow speed, which shall under no circumstances exceed 10 Kilometers an hour. Under these circumstances, the Loco Pilot when not accompanied by Assistant Loco Pilot, and if he considers it necessary, may seek the assistance of the Guard by giving the prescribed code of whistle.

- (6) इस प्रकार बुलाये जाने पर गार्ड लोको पायलट के आगे बढ़ने से पहले इंजन कैब में आ जायेगा और पूरी निगरानी रखने में, लोको पायलट की सहायता के लिए उसके साथ चलेगा।
- (7) स्वचालित व रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करने के बाद लोको पायलट अगले रोक (स्टॉप) सिगनल तक अति सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा। यदि यह सिगनल 'ऑफ' भी है तो भी लोको पायलट वहाँ तक किसी सम्भावित अवरोध पर लगातार निगाह रखेगा। वह उस सिगनल तक सतर्कतापूर्वक जाएगा और यहां पहुंचने के बाद ही उसके संकेत के अनुसार कार्रवाई करेगा।

स. नि. 9.07(i) स्वाचालित ब्लाक पद्धति से व्यवस्थित सेक्शन में यदि लोको पायलट किसी स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल का प्रवेश प्रकाशित 'अपरोच लिट' होते हुए नहीं पाता है तो उस सिगनल को खराब मानना चाहिए।

- (ii) सहायक नियम 9.02(ii) भी देखें।
- (iii) साधारण नियम 9.07(5) के उपबन्ध के अधीन लोको पायलट द्वारा सहायता के लिए बुलाये जाने पर गार्ड का गार्ड इंजन कैब में यात्रा करने के लिए चलने से पूर्व गार्ड के कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा। यदि कोई सक्षम व्यक्ति उपबन्ध नहीं है तो गार्ड को ब्रेकवान में ही यात्रा करनी चाहिए।
- (iv) सहायक नियम 3.74(ii) भी देखें।
- (v) स्वचल रोक सिगनल को 'आन' स्थिति में पार करने के पश्चात् पूर्वोपाय-साधारण नियम 9.07(3) के अनुसार जब स्वचल रोक सिगनल आन स्थिति में पार कर लिया जाय तो दूसरे रोक सिगनल के पास न पहुंचने तक, दृश्यता की सामान्य स्थिति रहने पर भी लोको पायलट बहुत सतर्कतापूर्वक सीमित गति जो 10 किमी० प्रति घंटा से अधिक न हो, से किसी सम्भाव्य अवरोध के लिये आगे देखते हुए तथा उसके निकट खड़ा होने कि लिये तैयार रहते हुए, आगे बढ़ेगा। किन्तु यदि दूसरा सिगनल आफ पहलू प्रदर्शित करता है तब भी उसके सन्निकट किसी सम्भाव्य अवरोध के लिये लोको पायलट देखना जारी रखेगा। वह सतर्कता पूर्वक उसके निकट तक बढ़ेगा तथा वहां पहुंचने पर उसके पहलू के अनुसार कार्यवाई करेगा।

9.08 इकहरी (सिंगिल) लाइन पर स्वचालित ब्लॉक पद्धति में गाड़ियों के संचालन का प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति:-

- (1) जहाँ केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण सेन्ट्रलाइज्ड (ट्रैफिक कन्ट्रोल) प्रचलित है उन स्थानों को छोड़ कर, स्टेशनों पर और उनके बीच गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर पर होगी।
- (2) जिस सेक्शन पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) प्रचलित है, वहाँ उप नियम (3) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रक परिचालक (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल आपरेटर) पूरे सेक्शन में गाड़ियों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (3) जिस सेक्शन में केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) प्रचलित है वहाँ, आपात स्थिति में या विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप में स्टेशन या उसके किसी भाग पर गाड़ियों का संचालन स्टेशन मास्टर अपने हाथ में ले सकता है या उसे सौंपा जा सकता है। जब इस प्रकार आपात नियंत्रण हस्तान्तरित किया जाता है तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर या स्टेशन के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन का प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति होगा और स्टेशन का कार्यचालन उपनियम (1) के अनुसार किया जाएगा।

स०नि० 9.08 (1) इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लाक पद्धति द्वारा परिचालित स्टेशन पर शंटिंग के समय निम्नलिखित क्रियाविधि का पालन किया जायेगा:-

- (i) प्रथम रोक सिगनल(होम सिगनल) के बाहर की लाइन तब तक अवरुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि लाइन को ब्लाक बैक नहीं कर दिया जाता।
- (ii) वाह्यतम सम्मुख काँटों या एडवांस स्टार्टर सिगनल यदि लगे हैं, तो उसके बाहर प्रथम रोक सिगनल तक लाइन तभी अवरुद्ध किया जायेगा जब ब्लाक खण्ड जिसमें शंटिंग होनी है, आने वाली गाड़ियों से साफ हो एवं स्टेशन मास्टर द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नियुक्त रेल कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी है।

- (6) When so sent for by the Loco Pilot, the Guard shall accompany him on the engine cab, before he moves forward, to assist the Loco Pilot in keeping a sharp look out.
- (7) When an Automatic Stop signal has been passed at 'on' the Loco Pilot shall proceed with great caution until the next Stop signals is reached. Even if this signal is 'off', the Loco Pilot shall continue to look out for any possible obstruction short of the same. He shall proceed cautiously up to that signal and shall act upon its indication only after he has reached it.

S.R. 9.07. (i) If a Loco Pilot finds that an Automatic stop signal a section provided with Automatic block system does not get Approach lit, he should treat the signal as defective.

(ii) Also see S.R.9.02(ii).

(iii) Guard of the train on being called by he Loco Pilot for assistance under the provision of G.R. 9.07 (5) shall, before proceeding to travel on engine cab, depute a competent man to perform the duties of a Guard. If no competent man is available then the Guard must travel in the brake van.

(iv) Also see S.R.3.74 (ii).

(v) Precaution after passing Automatic Stop Signal on Single line at 'ON' When an Automatic Stop Signal on single line has been passed at 'ON' as per G.R.9.07(3) The Loco Pilot shall proceed with great caution at a speed not exceeding 10 KMPH even in normal condition of visibility, until the next signal is reached, looking out for any possible obstruction and be prepared to stop short of the same. Even if the next signal displays 'OFF' aspect, the Loco Pilot must continue to look for any possible obstruction short of the same. He shall proceed cautiously up to that signal and shall act upon its indications only after he has reached it.

9.08 Person in charge of working trains on Automatic Block System on single line: -

- (1) Except where Centralized Traffic Control is in operation, the Station Master shall be responsible for the working of trains at and between stations.
- (2) On a section where Centralized Traffic Control is in operation, the Centralized Traffic Control Operator shall be responsible for the working of trains on the entire section except as provided for in sub rule (3)
- (3) On a section where Centralized Traffic Control is in operation, the working of trains at a station or part of a station may be taken over by or handed over to the Station Master during emergency or as prescribed by special instruction. When such emergency control is transferred, the Station Master shall be the person in charge of working trains at the station or part of the station and the station shall be worked in accordance with sub-rule (1).

SR-9.08 (1): At stations worked on Automatic Block System on single line the following procedure shall be observed during shunting operation.

- (i) The line outside the first stop signal (Home signal) shall not be obstructed unless the line has been blocked back.
- (ii) The line outside the outermost facing points or beyond advanced starter signal where provided and up to first stop signal shall not be obstructed unless the block section into which the shunting is to take place is clear of an approaching train and a Railway servant specially appointed in this behalf by the Station Master is incharge of shunting operation.

- (iii) वाह्यतम काँटों के बाहर लाइन का आती हुई गाड़ी की दिशा में अवरुद्ध नहीं किया जायेगा। किन्तु जहाँ एडवान्स स्टार्टर सिगनल लगे हैं वहाँ वाह्यतम काँटों के बाहर और एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल तक लाइन अवरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि स0नि0 8.09 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित न हो जाये।
- (2) (i) स्वचालित ब्लाक पद्धति द्वारा परिचालित प्रत्येक स्टेशन पर चार शंटिंग टोकेन रखे जायेंगे विभिन्न शंटिंग के लिए टोकेन का प्रकार निम्नलिखित होगा।
 आयताकार:— डाउन होम सिगनल एवं डाउन अप्रोच सिगनल के मध्य शंटिंग हेतु।
 त्रिभुजाकार:— डाउन होम सिगनल एवं अप स्टार्टर सिगनल के मध्य शंटिंग हेतु।
 समचतुर्भुजीय आकार:— अप होम सिगनल एवं अप अप्रोच सिगनल के मध्य सिगनल के मध्य शंटिंग हेतु।
 पिरामिडीय आकार:— अप होम सिगनल एवं डाउन स्टार्टर सिगनल के मध्य शंटिंग हेतु।
- (ii) लोको पायलट के प्राधिकार में शंटिंग टोकेन का होना उसकी शंटिंग के प्रभारी व्यक्ति के अनुदेशों के अनुसार स्टेशनों पर केवल उस सिरे पर शंटिंग करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसके लिए टोकेन अभीष्ट है अर्थात् उस छोर के होम सिगनल अथवा अप्रोच सिगनल तथा विपरीत सिरे के स्टार्टर सिगनल के बीच शंटिंग के लिए।
- (iii) शंटिंग टोकेन गाड़ी के गार्ड के माध्यम से अथवा यार्ड शंटिंग के लिए शंटिंग के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से लोको पायलट को अप/डाउन होम सिगनल तक अथवा प्रथम अप/डाउन स्वचल रोक सिगनल तक जैसी स्थिति हो शंटिंग करने के लिए अपेक्षित स्टार्टर सिगनल को आन स्थिति में पार करने के लिए यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो, एक प्राधिकार के रूप में दिया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में जब तक कि शंटिंग टोकेन या उसके बदले में स्टेशन मास्टर का ज्ञापन लोको पायलट के व्यक्तिगत अभिरक्षा में न हो, शंटिंग नहीं की जानी चाहिए।
- (3) स्वचालित सिगनलिंग खण्ड पर काम करने वाले गार्डों तथा लोको पायलटों तथा डीजल सहायक/सहायक लोको पायलट को इस प्रणाली के सम्बन्ध में प्रत्येक छः महीने में एक दिन का सघन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इन नियमों में प्रवीणता तथा उनकी जानकारी के प्रमाण स्वरूप एक सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी/नवीकरण किया जायेगा। इस प्रकार जारी किये गये सक्षमता प्रमाण पत्र के अभिलेख का रख-रखाव सम्बन्धित मण्डल संरक्षा अधिकारी तथा मण्डल यांत्रिक इंजीनियर द्वारा किया जायेगा। किसी भी गार्ड और लोको पायलट तथा डीजल सहायक/सहायक लोको पायलट को जब तक उनके पास ऐसा प्रमाण पत्र न हो, ऐसे सेक्शनों पर कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

ग. दोहरी (डबल) और इकहरी (सिंगिल) दोनों लाइनों पर लागू नियम

9.09 केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) क्षेत्र में गाड़ियों का संचालन:— जिस सेक्शन पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) प्रचलित है, उसमें गाड़ियों का संचालन विशेष अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा।

9.10. स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में रूकी गाड़ी की रक्षा:—

- (1) यदि कोई गाड़ी स्वचालित ब्लॉक सिगनल सेक्शन में रूक जाती है तो गार्ड तुरन्त पीछे की ओर खतरे का हैंड सिगनल दिखाएगा और यह जांच करेगा कि पिछला (टेल) बोर्ड या पिछली बत्ती (टेल लाइट) ठीक से प्रदर्शित है।
- (2) यदि गाड़ी किसी दुर्घटना, खराबी या अवरोध के कारण रूकी है और वह आगे नहीं बढ़ सकती है तो लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा। नियम 6.03 के अनुसार गाड़ी की तुरन्त रक्षा की जाएगी, सिवाय इसके कि रूकी हुई गाड़ी की लाइन की रक्षा के लिए जाते समय गाड़ी से 90 मीटर की दूरी पर एक पटाखा और इसी प्रकार गाड़ी से कम से कम 180 मीटर की दूरी पर या ऐसी दूरी पर जो विशेष अनुदेशों द्वारा नियत की गई है, दो पटाखे जो एक दूसरे से 10 मीटर दूर होंगे, रखे जायेंगे।

9.11. लोको पायलट द्वारा खराबियों की रिपोर्ट:—

- (1) जब किसी लोको पायलट को स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में पार करना पड़े तो वह विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप में अगले रिपोर्टिंग स्टेशन, या केबिन पर

- (iii) The line outside outermost facing points shall not be obstructed in face of an approaching train.
However, where Advanced starter signal is provided, the line beyond outermost facing points and up to Advanced starter signal shall not be obstructed in such case unless the provisions contained under SR-8.09(i) have been complied with.
- (2) (i) At stations worked on Automatic Block System four shunting tokens will be provided at each station. the token for different shunting purposes will be as under:-
Rectangular shape: Shunting between Dn. Home and Dn. Approach signals.
Triangular shape: Shunting between Dn. Home and Up starter signals.
Rhombic shape: Shunting between Up Home signal and Up Approach signals.
Pyramidal Shape: Shunting between Up Home signal and Dn. Starter Signal.
- (ii) The Possession of shunting token by the Loco Pilot authorizes him to perform shunting on the instructions of the person incharge of shunting only at that end of the station for which token is intended i.e. between Home signal or approach signal of that end and the starter of the opposite end.
- (iii) The shunting token shall be issued to the Loco Pilot through the Guard of the shunting train, or person incharge of shunting in case of yard shunting as an authority for performing shunting up to Up/Dn. home signals or upto first Up/Dn. automatic stop signals, as the case may be and also to pass the requisite starter signal at 'ON', if required to do so. Under no circumstances shunting should be performed unless shunting token or the Station Master's memo in lieu thereof, is in personal custody of the Loco Pilot.
- (3) All Guards, Loco Pilots, Diesel Assistant/Assistant Loco Pilots who are required to work on Automatic Signaling section shall be imparted one day's intensive course once in every six month about the rules pertaining to this system and competency certificate issued/renewed in token of their knowledge and proficiency in these rules. A record of such competency certificate issued shall be maintained by Divisional Safety Officer and Divisional Mechanical Engineer concerned No Guard, Loco Pilot, Diesel Assistant/Assistant Loco Pilot shall be put on duty on such section unless he possesses such a certificate.

C. Rules applicable to both Double and Single Lines

9.09 Working of trains on Centralized Traffic Control territory:- On a section where Centralized Traffic Control is in operation, the working of trains shall be governed by special instructions.

9.10 Protection of a train stopped in an Automatic block signaling section: -

- (1) When a train is stopped in an Automatic block signaling section, the Guard shall immediately exhibit a Stop hand signal towards the rear and check up that the tail board or tail light is correctly exhibited.
- (2) If the stoppage is on account of accident, failure, or obstruction and the train cannot proceed, the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle and the train shall be protected immediately as per Rule 6.03 except that for the protection of the occupied line one detonator shall be placed at 90 metres from the train on the way out and similarly two detonators, 10 metres apart, not less than 180 metres from the train or at such distance as has been fixed by special instructions.

9.11 Loco Pilot to report failures: -

- (1) When a Loco Pilot has to pass an Automatic Stop signal at 'on', he shall stop his train at the next reporting station or cabin as prescribed by special instructions

ही अपनी गाड़ी रोक देगा और उसने जो स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल 'आन' स्थिति में पास किये हैं उनकी विस्तृत रिपोर्ट देगा।

- (2) रिपोर्टिंग स्टेशन या केबिन का स्टेशन मास्टर या प्रभारी (इंचार्ज) व्यक्ति इस बात की रिपोर्ट तुरन्त सम्बन्धित सिगनल और परिचालन अधिकारियों को करेगा।

स0नि0 9.11 (i) लोको पायलट जिन स्वचल रोक (स्टाप) सिगनलों को, उसने आन स्थिति में पास किया है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट अगले रुकने वाले स्टेशन पर देगा।

- 9.12. स्वचालित सिगनल व्यवस्था बिगड़ जाने पर कार्य विधि:**— यदि स्वचालित सिगनल व्यवस्था की खराबी कुछ समय तक रहने की या इसके कारण गाड़ियों में काफी विलम्ब होने की संभावना है तो गाड़ियों का संचालन संबंधित सेक्शन या सेक्शनों पर एक स्टेशन से दूसरे तक, विशेष अनुदेशों के अधीन किया जाएगा।

स0नि0 9.12(i) यदि लोको पायलट किसी स्वचल रोक सिगनल को लाल पाता है तो स0नि0 9.07 का पालन करेगा।

- (ii) दूसरी गाड़ी के लोको पायलट द्वारा यह सूचना पाने पर कि स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल विशेष 'रूको' संकेत दे रहा है यद्यपि सम्बन्धित सिगनल सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है जिसके कारण कथित सिगनल लाल संकेत को धारण कर लेता है, स्टेशन मास्टर सिगनल को खराब कर देगा और पिछले स्टेशन तथा अन्तिम रुकने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टरों को सभी लोको पायलटों को स्वचल रोक सिगनल लाल स्थिति में पार करने हेतु निर्धारित फार्म टी/ए 912 देने के लिए सूचित करेगा जिससे वे साधारण नियम 9.07 का पालन किये बिना विशिष्ट स्वचल रोक सिगनल को पास करने उसके अगले तक जा सके। लोको पायलट अगले सिगनल तक पहुंचने के बाद ही उसके संकेत से मार्ग दर्शित होंगे कथित स्वचल रोक (स्टाप) को खराब घोषित करने के पश्चात स्टेशन मास्टर किसी दूसरी गाड़ी को साधारण नियम 9.03 (च) के अनुसार पहली गाड़ी के पीछे उसी ब्लाक सेक्शन में अनुगमन करने की अनुमति नहीं देगा।

- (iii) लोको पायलट द्वारा, स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल के खराब होने के विषय में सूचित होने पर स्टेशन मास्टर सिगनल अनुरक्षक को स्थल पर तुरन्त उपस्थित होकर खराबी को दूर करने के लिए सूचना देगा।

- (iv) किन्तु यदि किसी स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल की खराबी जारी रहती है तो स्टेशन मास्टर सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को लोको पायलट इत्यादि को अनुदेश देने के लिए तार द्वारा सूचित करेगा। परन्तु सहायक नियम 9.12(ii) के अनुसार टी/ए 912 का दिया जाना तब तक जारी रहेगा जब तक खराब सिगनल ठीक नहीं हो जाता।

- (v) खराबी देर हो जाने के पश्चात सभी सम्बन्धित पदाधिकारी जिनको उपर्युक्त पैरा (iv) के अनुसार सिगनल के खराब होने के बारे में सूचना दी गयी थी फिर से तार द्वारा सूचित किये जायेंगे कि खराबी ठीक हो गयी है और सामान्य कार्य संचालन का पुनरारम्भ हो गया है।

- 9.13. स्वचालित ब्लॉक पद्धति पर यातायात की दिशा के विपरीत गाड़ियों का संचालन:**—

स्वचालित सिगनल क्षेत्र में गाड़ियां केवल यातायात की स्थापित दिशा में ही चलेंगी। यातायात की स्थापित दिशा के विपरीत गाड़ियों के संचालन की अनुमति नहीं है। यदि आपात स्थिति में किसी गाड़ी का, यातायात की स्थापित दिशा के विपरीत संचालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है तो ऐसा केवल विशेष अनुदेशों के अधीन किया जाएगा और ऐसे अनुदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त गाड़ी के लिए लाइन पीछे के स्टेशन तक साफ और अवरोध रहित है।

स0नि0 9.13 (i) जब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी गाड़ी को पीछे वापस करना हो तो ऐसी परिस्थितियों में लोको पायलट सावधानी से उस गति से जो 10 किमी0 प्रति घण्टा से अधिक न हो, बढ़ेगा और इंजन से सीटी का बार-बार उपयोग करेगा। गार्ड लोको पायलट को आगे बढ़ो हैण्ड सिगनल प्रदर्शित करते हुए एवं आने वाली गाड़ियों पर कड़ी निगाह रखते हुए ब्रेकवान में उपस्थित रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने ब्रेक का उपयोग करने के लिए भी तैयार रहेगा। गार्ड एक फायरमैन या अन्य योग्यता प्राप्त किसी व्यक्ति को भी हैन्ड सिगनल के साथ आगे-आगे पैदल चलने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। इस व्यक्ति को यह अनुदेश होगा कि किसी आने वाली गाड़ी की ओर खतरे का हैण्ड सिगनल प्रदर्शित करना है। धुन्ध या कोहरे के मौसम में या जब स्पष्ट दिखायी न देता हो, गार्ड एक अतिरिक्त योग्य कर्मचारी को तुरन्त प्रयोग के लिए तैयार कुहासा सिगनल के साथ प्रतिनियुक्त करेगा। यदि गाड़ी किसी स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल के कुछ ही आगे आकर रुक गयी है तो गाड़ी धीरे से पीछे वापस हो जायेगी ताकि पिछला ब्रेकवान स्वचल रोक (स्टाप) सिगनल के पहले ही रहे और पीछे के सिगनल की रक्षा प्राप्त हो जाये।

and report particulars of Automatic Stop signals passed at 'on' by him.

- (2) The Station Master or person incharge of the reporting station of cabin shall promptly report the fact to the signal and operating officials concerned.

S.R.9.11 (i) The Loco Pilot shall report particulars of automatic stop signals passed by him at 'ON' at the next stopping station.

9.12 Procedure during failure of Automatic signaling:- When a failure of Automatic signaling is likely to last for some time or cause serious delay, trains shall be worked from station to station over the section or sections concerned under special instructions.

S.R.9.12 (i) If a Loco Pilot finds on automatic stop signal 'Red' he shall follow G.R.9.07.

- (ii) Station Master, on being informed by the Loco Pilot of the second train that the particular Automatic Stop signal is giving stop (Red) indication, though there is no train in the signaling section concerned causing the said signal to assume "Red" indication, will declare the signal as defective and advise Station Master of the station in rear and last stopping station to issue authority to pass Automatic stop Signal at Red aspect on prescribed form no. T/A 912 to all Loco Pilots for passing the particular Automatic Stop signal without following G.R.9.07 upto the next signal ahead. Loco Pilots will be guided by the aspect of the next signal only after reaching it. Station Master after declaring the said Automatic Stop signal as defective shall not allow a train to follow a preceding train in the same block section, as per G.R. 9.03(f)
- (iii) Station Master on being informed by a Loco Pilot about the Automatic Stop Signal being defective will inform signal maintainer to attend the site immediately for putting right the defect.
- (iv) If, however, the failure of an Automatic Stop signal continues the procedure to issue authority to pass Automatic Stop Signal 'ON' as per S. R. 9.12 (ii) will continue to be issued till defective signal is put right.
- (v) After the defect has been rectified, all concerned who were previously advised, vide Para (iv) above, regarding the signal being defective will again be advised by wire that the defect has been put right and normal working has been resumed.

9.13 Movement of trains against the direction of traffic on the Automatic Block System:-

In Automatic signaling territory, trains shall run in the established direction of traffic only. Movement of trains against the established direction of traffic is not permitted. When in an emergency it becomes unavoidably necessary to move a train against the established direction of traffic, this shall be done only under special instructions which shall ensure that the line behind the said train upto the station in rear is clear and free from obstruction.

S.R.9.13 (i) If a train has to be backed due to unavoidable circumstances the Loco Pilot under such circumstances shall proceed cautiously at a speed not exceeding 10 Kilometers per hour and make frequent use of Engine whistle. The Guard shall remain in the brake van exhibiting proceed hand signals to the Loco Pilot keeping a sharp look out for approaching trains. He shall also be ready to apply his brakes if necessary. The Guard shall also depute a fireman or any other qualified person to proceed ahead on foot with hand signals with instructions to exhibit danger hand signals towards any approaching train. In thick or foggy weather or when the visibility is poor, the Guard shall depute an additional qualified person with fog signals ready for immediate use. If the train has come to a stop just in advance of an Automatic stop signal then the train shall be backed slowly so as to bring the rear brake van in rear of the automatic Stop Signals, in order to ensure the protection of the signal in rear.

- (ii) किसी ब्लाक सेक्शन में दुर्घटना या ब्रेक डाउन की स्थिति में उस सेक्शन में गाड़ियों का संचालन पूर्ण ब्लाक पद्धति के उपबन्धों के अधीन शासित होगा।

9.14. यदि अर्द्धस्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल के 'आन' स्थिति में होने पर कार्य विधि:—

- (1) यदि किसी अर्द्धस्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल का स्वचल रोक (स्टॉप) के रूप में प्रचालन किया जाता है तो, यथास्थिति, नियम 9.02 या 9.07 लागू होगा।
- (2) यदि अर्द्धस्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल का हस्तचालित रोक (स्टॉप) सिगनल के रूप में प्रचालन किया जाता है और वह खराब हो जाता है तो उसे अध्याय 3 के खण्ड 'ज' में वर्णित सम्बन्धित नियमों के अधीन ही पार किया जा सकेगा।
- (3) यदि लोको पायलट को, अर्द्ध स्वचल रोक (स्टॉप) सिगनल, 'आन' स्थिति में पास करने के लिये उसके नीचे लगे बुलावा (कालिंग आन) सिगनल को 'ऑफ' करके प्राधिकृत किया जाता है तो वह यथास्थिति नियम 9.02 या 9.07 में उल्लिखित सावधानियां बरतेगा।

9.15. स्वचालित सिगनल व्यवस्था क्षेत्र में (फाटक) रोक स्टॉप सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करना:— यदि लोको पायलट स्वचालित व्यवस्था क्षेत्र में फाटक रोक (स्टॉप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पाता है—

- (क) और यदि 'A' चिन्ह (मार्कर) प्रज्ज्वलित है तो वह, यथास्थिति, नियम 9.02 या 9.07 के उपबन्धों का पालन करेगा, या
- (ख) (i) यदि 'A' चिन्ह (मार्कर) बत्ती की रोशनी बुझी हुई है तो वह फाटक वाले को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और सिगनल के पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा, और
- (ii) यदि दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल 'आफ' नहीं होता है तो वह अपनी गाड़ी को समपार तक सतर्कता पूर्वक ले जाएगा, और
- (ii) यदि फाटक वाला उपलब्ध है और हैंड सिगनल दिखा रहा है तो वह समपार फाटक को सावधानी पूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ेगा, या
- (iii) यदि फाटक वाला उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है, किन्तु हैंड सिगनल नहीं दिखा रहा है तो वह समपार से पहले गाड़ी रोक लेगा और यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सड़क यातायात के लिए फाटक बंद है और फाटक वाले से हैंड सिगनल मिलने के बाद, और उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट से हैंड सिगनल मिलने पर लोको पायलट निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा और यथा—स्थिति नियम 9.02 या 9.07 का पालन करते हुए अगले रोक सिगनल तक सतर्कता से गाड़ी को आगे बढ़ायेगा।

स0नि0 9.15 (i) स्वचालित सिगनलिंग क्षेत्र में 'ए' मार्कर वाले किसी फाटक रोक (स्टाप) सिगनल को आन स्थिति में या बुझी बत्ती की अवस्था में पास करते समय लोको पायलट को लम्बी सीटी, सीटी पट्ट से समपार तक लगातार बजाना चाहिए।

- (ii) स्वचालित सिगनल व्यवस्था क्षेत्र में जहाँ प्रज्ज्वलित 'ए' तथा प्रज्ज्वलित 'एजी' मार्कर लगे हो आन स्थिति में अर्द्ध स्वचल फाटक रोक (स्टाप) सिगनल को पास करना— यदि लोको पायलट स्वचालित सिगनल व्यवस्था क्षेत्र में प्रज्ज्वलित 'एजी' मार्कर वाले फाटक रोक (स्टाप) सिगनल को आन स्थिति में पाये तो—

- (क) यदि 'ए' मार्कर प्रकाशित है किन्तु 'एजी' मार्कर की बत्ती बुझी हुई है तो नियम 9.02 या 9.07 के उपबन्धों का पालन करेगा अथवा
- (ख) यदि 'ए' मार्कर की बत्ती बुझी हुई है किन्तु 'एजी' मार्कर प्रकाशित है, तो वह साधारण नियम 9.15 के खण्ड (ख) के उपबन्धों का पालन करेगा अथवा
- (ग) यदि 'ए' मार्कर तथा 'एजी' मार्कर दोनों की बत्तियाँ बुझी हुई हैं तो वह फाटक वाले को चेतावनी देने के लिए निर्धारित कोड से सीटी बजायेगा और सिगनल के पहले अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा। तत्पश्चात् वह केवल विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा।

- (ii) In the event of accident or any brake down in a block section, the movement of trains in that section will be governed under the provision of Absolute Block System.

9.14 Procedure when Semi-Automatic Stop signal is 'on': -

- (1) When a Semi-Automatic Stop signal is worked as an Automatic Stop signal, Rule 9.02 or 9.07 shall apply as the case may be.
- (2) When a Semi- Automatic Stop Signal is working as a Manual Stop signal and becomes defective, it may only be passed under relevant rules detailed in Chapter III, Section 'H'.
- (3) When a Loco Pilot is authorized to pass a Semi Automatic Stop signal at 'on' by taking 'off' the Calling-on signal fixed below it, he shall follow the precautions stipulated in Rule 9.02 or 9.07 as the case may be.

9.15 Passing a gate Stop signal at 'on' in Automatic signaling territory:- If the Loco Pilot finds a gate Stop signal at 'on' in an Automatic signaling territory:-

- (a) He shall comply with the provisions of Rule 9.02 or 9.07 as the case may be, if the 'A' marker is illuminated, or
- (b)
 - (i) if the 'A' marker light is extinguished, he shall sound the prescribed code of whistle to warn the Gateman and bring his train to a stop in rear of the signal, and
 - (ii) if after waiting for one minute by day and two minutes by night, the signal is not taken 'off', he shall draw his train ahead cautiously up to the level crossing, and
 - (iii) if the Gateman is available and exhibiting hand signals, proceed further past the level crossing gate cautiously, or
 - (iv) if the Gateman is not available, or, is available but not exhibiting hand signals, stop in rear of the level crossing and after ascertaining that the gates are closed against road traffic and on getting hand signals from the Gateman, and in his absence from Assistant Loco Pilot, the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle and cautiously proceed up to the next stop signal complying with the rule 9.02 or 9.07 as the case may be.


S.R.9.15 (i) While passing a gate signal with 'A' marker at 'ON' or its light extinguished in Automatic signaling territory, the Loco Pilot should sound one long whistle and proceed continuously whistling from the whistle Boards upto the level crossing.

(ii) Passing a semi automatic gate Stop Signal provided with illuminated 'A' and illuminated 'AG' markers, at 'ON' in Automatic Signaling Territory. If the Loco Pilot finds a gate Stop Signal provided with illuminated 'AG' marker at 'ON' in an Automatic Signaling Territory:-

- (a) He shall comply with the provisions of General Rule 9.02 or 9.07 as the case may be, if the 'A' marker is illuminated but the 'AG' marker light is extinguished, or
- (b) If the 'A' marker light is extinguished but the 'AG' marker light is lit, he shall comply with the provisions of clause (b) of General Rule 9.1.5, or
- (c) If both the A marker, or AG marker lights are extinguished, he shall sound the prescribed code of whistle to warn the Gateman and bring his train to stop in the rear of the signal. Thereafter, he shall proceed further in accordance with the procedure laid down under special instructions.


9.16 दृष्टांत चित्र:- तीन संकेती और चार संकेती सिगनल व्यवस्था में गाड़ियों के पीछे, संकेत के क्रम में स्वतः परिवर्तन निम्न चित्रों में दिखाया गया है। ये चित्र मापक्रम के अनुसार नहीं खींचे गए हैं।

तीन संकेती सिगनल व्यवस्था वाले क्षेत्रों में गाड़ी के पीछे संकेतों के क्रम में स्वतः परिवर्तन




9.16 Illustrative diagrams - Automatic change of sequence of aspects behind the train in three-aspect and four-aspect signalling is illustrated in the following diagrams, which are not drawn to scale.

Automatic change of sequence of aspect behind the train in three aspect signalling territory



चार संकेती सिगनल व्यवस्था वाले क्षेत्रों में गाड़ी के पीछे संकेतों के क्रम में स्वतः परिवर्तन



Automatic change of aspect behind the train in four aspect signalling territory

